न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 09/2017

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. सरदूल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	1. चरणजीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7वीं तहसील श्रीकरणपुर।
2. जसवन्त कौर पत्नी त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	2. राजविन्द्र सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
3. सुखवीर कौर पुत्री त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	3. जरनैल सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
4. जसवीर कौर उर्फ सर्वजीत कौर पुत्री त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	4. गुरबक्श सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
5. निर्मलजीत कौर पुत्री त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	5. नरेन्द्र कौर पुत्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
	6. हरपाल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
	7. जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वीं तहसील श्रीकरणपुर।
	8. हरदेव सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी केसरीसिंहपुर।
	9. बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी केसरीसिंहपुर।
	10. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी केसरीसिंहपुर।
	11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 09.02.2017

उपस्थित: 1.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता वादीगण

दिनांक: 15.05.2022

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 43/48 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति मृतक त्रिलोक सिंह को इस भूमि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 22 के 16

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

बिस्वा, किला नम्बर 19 के 16 बिस्वा, किला नम्बर 12 के 6 बिस्वा, किला नम्बर 13 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 23 के 10 बिस्वा कुल 3 बीघा 3 बिस्वा नहरी भूमि चक बंटवारे के हिस्से में आयी है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति मृतक त्रिलोक सिंह से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 जरनैल सिंह ठेका पर लेकर काश्त करता था। प्रतिवादी संख्या 3 जरनैल सिंह के पास दिनांक 12.04.2017 तक ठेका पर है। इस ठेके की राशि में से जरनैल सिंह की तरफ 2000 रु बकाया है। वादीगण ने 10 दिन पूर्व ठेका के बकाया 2000 रुपए व आगामी वर्ष की ठेका राशि जरनैल सिंह से मांग की तो उसने इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। विवादित भूमि साझा खाता की भूमि है। जिस पर चक बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण हिस्से में आयी भूमि अनुसार काबिज है। वादीगण विधिवत बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग करवाना चाहते है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक कि चक 8 वी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 43/48 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 6.325 हेक्टेयर भूमि नक्शा का बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 22 के 16 बिस्वा, किला नम्बर 19 के 16 बिस्वा, किला नम्बर 12 के 6 बिस्वा, किला नम्बर 13 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 23 के 10 बिस्वा कुल 3 बीघा 3 बिस्वा नहरी भूमि का कब्जा मय पानी जरनैल सिंह को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। व इस भूमि का किलावाईज खाता विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान करे। व अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की तामील विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए। जवाब दावा पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प कोर्ट 8 वी में पेश हुई। वादी सरदूल सिंह स्वंय उपस्थित आया। पहचान सरपंच ग्राम पंचायत 8 वी के द्वारा की गयी। उपस्थित वादी को सुना गया। वादी के द्वारा निवेदन किया कि विवादित भूमि का कब्जा उनके पास है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 0.791 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 8 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 98/43 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 1.740 हेक्टैयर नहरी भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 0.791 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सरदूल सिंह बनाम चरणजीत सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 183 काश्तकारी,
प्रकरण संख्या 95/2017

सीपीसी प्रस्तुत किया। जो प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा पैरवी छोड़ देने पर
न फरमाया गया।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने
क बटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये
की ईस्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता
तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा
र्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बटवारा
॥ जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध
वादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 8 वी, पटवार हल्का 8 वी, भू.
नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074
77 के खाता संख्या 98/43 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 1.740 हेक्टैयर नहरी भूमि में
दी संख्या 1,3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.791 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात
भाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

ऽ. ι.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	सरदूल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वी तहसील श्रीकरणपुर(0.565 है.) सुखवीर कौर पुत्री त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वी (0.113 है.) चरनजीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7वी (0.113 है.)	8 वी	19	18/1 23,24,25	0.032 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर	नहरी नहरी	0.23 5.40

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी
पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग
अभियान-2021, फोलोअप शिविर, ग्राम पचायत 9 एफ ए में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर